


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 505 / 2020 अपील जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00370 रमाशंकर बनाम मंदिर नृसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

19.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 (जागीर प्रकरण संख्या 23/2009 निर्णय दिनांक 29.04.2015 में प्रार्थना पत्र एक पक्षीय निर्णय अपास्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नम्बर 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी0) उनवानी मन्दिर श्री नृसिंह जी ब्रह्मपुरी बनाम राजस्थान सरकार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2015 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है तथा अपीलान्त की अपील इसी स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालानार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।


 (डॉ. आरुषी मलिक)
 संभागीय आयुक्त,
 जयपुर